भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6278

दिनांक 02.04.2026 को उत्तर के लिए नियत

छत्तीसगढ़ में पीएमईजीपी

6278. **श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त संबंध में प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत परियोजनाओं, लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या तथा संवितरित कुल बैंक ऋण एवं राजसहायता/मार्जिन-मनी का जिला-वार, विशेषकर महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित उद्यमों की संरचना क्या है और विशेषकर उपर्युक्त जिलों में स्थानीय जनसांख्यिकीय और संसाधन बंदोबस्ती को ध्यान में रखते हुए संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त आकलित उद्योगों का क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा अन्य एजेंसियों के साथ प्रशिक्षण, सहायता और संपर्कों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महासमुंद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में लक्षित उपायों के माध्यम से रोजगार सृजन में वृद्धि करने के लिए क्या अनुवर्ती उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): एमएसएमई मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋण पर मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके द्वार पर संधारणीय रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों सहित छत्तीसगढ़ में स्वीकृत ऋणों और एमएम सब्सिडी के माध्यम से संवितरित कुल बैंक क्रेडिट के साथ प्राप्त आवेदनों की संख्या, स्वीकृत परियोजनाओं और सहायता-प्राप्त लाभार्थियों का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में है।

(ख): पीएमईजीपी के अंतर्गत, सूक्ष्म उद्यमों को छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में विनिर्माण और सेवा-दोनों क्षेत्रों में स्थानीय कौशल, संसाधनों और उद्यमशीलता रुचि के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वन आधारित उद्योग, हस्तनिर्मित कागज और फाइबर उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, पॉलिमर और रसायन आधारित उद्योग, ग्रामीण इंजीनियरिंग और बायो-टेक उद्योग और सेवा एवं वस्त्र उद्योग सहित ग्रामीण और ग्रामोद्योग के अंतर्गत चिन्हित क्रियाकलाप शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान छत्तीसगढ़ में पीएमईजीपी के अंतर्गत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की जिला-वार और क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-II** में है।

(ग): पीएमईजीपी के अंतर्गत, परियोजना की स्वीकृति और संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए केवीआईसी सहित वित्तपोषण बैंकों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण, पथ-प्रदर्शन सहायता और अन्य लिंकेज सहायता के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:

i. भावी लाभार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें प्रभावी उद्यम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वित्त, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबंधन, बैंकिंग प्रक्रियाओं, बहीखाता और सांविधिक अनुपालन सहित आवश्यक प्रबंधकीय और प्रचालन कौशल से लैस किया जा सके।

ii. छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केवीआईसी सहित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा भावी लाभार्थियों की पहचान करने और आवेदन एवं परियोजना निर्माण प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन और पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए जागरूकता और आउटरीच गतिविधियां आयोजित की गईं।

iii. आवेदकों को तत्क्षण सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में राज्य और मंडल कार्यालयों में विशिष्ट हेल्प डेस्क की स्थापना करना। इन हेल्प डेस्क का विवरण पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर और लिंक के माध्यम से उपलब्ध है: https://kviconline.gov.in/pmegpeportal/dashboard/helpDeskNo.jsp.

iv. आवेदन प्रक्रिया के दौरान भावी लाभार्थियों की पहचान करने और आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आयोजित आवेदक जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों में बैंकों की नियमित भागीदारी।

v. बैंकों द्वारा भावी उद्यमियों को पीएमईजीपी सहित सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में शिक्षित करने के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर और ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

vi. पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आयोजित ईडीपी प्रशिक्षण और जागरूकता शिविरों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**आयोजित ईडीपी प्रशिक्षणों की संख्या**	**आयोजित जागरूकता शिविरों की संख्या**
2022-23	8574	5
2023-24	7406	8
2024-25	1802	8
कुल	**17782**	**21**

(घ): महासमुंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में पीएमईजीपी के अंतर्गत रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. अधिकतम परियोजना लागत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

ii. विशेष श्रेणी के अंतर्गत उच्च सब्सिडी के लिए पात्र आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडर आवेदकों को शामिल करना।

iii. एमएसएमई को ऋण देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक के ऋण वाली परियोजनाओं के लिए बैंक किसी संपार्श्विक सुरक्षा पर जोर नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त, एमएसई लेनदारों में इकाइयों को 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट निर्णयों की समय सीमा को अपडेट किया गया है जो अधिकतम 14 कार्य दिवस होगा।

iv. पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन करने वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में भावी लाभार्थियों की पहचान करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन और पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन।

v. आवेदकों को तत्क्षण सहायता प्रदान करने के लिए राज्य / मंडल कार्यालयों में पीएमईजीपी हेल्पडेस्क की स्थापना।

vi. हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर 19 क्षेत्रीय भाषाओं में लाभार्थियों से भौतिक रूप में पीएमईजीपी आवेदनों की प्राप्ति।

vii. विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं की स्थापना के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत किसी भी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

viii. भावी पीएमईजीपी लाभार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम और वेबिनार आयोजित करना, जिसका उद्देश्य उनके प्रबंधकीय, तकनीकी और व्यावसायिक कौशल को विकसित और बेहतर बनाना है।

ix. विभिन्न उद्योगों पर 1,000 से अधिक मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई है और प्रस्तावों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

x. बैंकों द्वारा भावी उद्यमियों को पीएमईजीपी सहित सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में शिक्षित करने के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर और ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

xi. पीएमईजीपी के अंतर्गत, पशुपालन में डेयरी, मुर्गी पालन, जलकृषि, कीट पालन (मधुमखी पालन, रेशम उत्पादन आदि) जैसी और अधिक गतिविधियों को अनुमति देने के लिए नकारात्मक सूची में संशोधन किया गया है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 02.04.2026 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6278 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों सहित छत्तीसगढ़ में संस्वीकृत ऋणों और एमएम सब्सिडी के माध्यम से संवितरित कुल बैंक क्रेडिट के साथ प्राप्त आवेदनों की संख्या, स्वीकृत परियोजनाओं और सहायता प्राप्त लाभार्थियों का जिला-वार विवरण:

क्र. सं	जिले का नाम	वित्त वर्ष 2022-23					वित्त वर्ष 2023-24					वित्त वर्ष 2024-25				
		बैंक द्वारा प्राप्त आवेदन	बैंक द्वारा संस्वीकृत		संवितरित एमएम सब्सिडी		बैंक द्वारा प्राप्त आवेदन	बैंक द्वारा संस्वीकृत		संवितरित एमएम सब्सिडी		बैंक द्वारा प्राप्त आवेदन	बैंक द्वारा संस्वीकृत		संवितरित एमएम सब्सिडी	
		परियोजना की सं.	परियोजना की सं	ऋण राशि (लाख रु.)	परियोजना की सं	एमएम (लाख रु.)	परियोजना की सं.	परियोजना की सं	ऋण राशि (लाख रु.)	परियोजना की सं	एमएम (लाख रु.)	परियोजना की सं.	परियोजना की सं	ऋण राशि (लाख रु.)	परियोजना की सं	एमएम (लाख रु.)
1	बालोद	258	130	803.65	89	204.16	306	147	989.56	93	177.10	253	114	902.93	99	198.97
2	बालोदाबाजार	398	176	967.33	108	186.42	366	138	986.23	85	203.95	249	122	1190.76	87	208.38
3	बलरामपुर	291	92	461.43	43	83.73	127	33	299.86	23	47.75	101	46	424.52	21	31.96
4	बस्तर	361	134	812.87	87	199.84	286	137	860.56	67	111.07	316	85	656.42	68	124.01
5	बेमेतेरा	250	127	949.87	87	223.46	233	109	1019.79	100	322.17	193	67	964.34	44	169.92
6	बीजापुर	115	35	248.39	15	36.92	73	27	138.22	15	30.66	113	37	199.01	21	37.83
7	बिलासपुर	1078	265	2692.12	142	499.18	780	220	3043.30	177	586.27	634	180	2971.89	123	606.56
8	दंतेवाड़ा	143	72	663.37	47	121.31	143	49	353.00	25	87.55	105	44	255.68	36	81.36
9	**धमतरी**	401	200	1417.62	143	342.21	350	135	1287.57	112	280.22	384	108	1123.57	61	211.49
10	दुर्ग	602	207	2098.09	148	419.74	491	218	2829.44	98	412.85	449	182	2847.60	85	415.76
11	**गरियाबंद**	263	117	852.59	82	223.75	206	99	944.21	54	180.08	284	121	1061.56	48	130.27
12	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	187	35	221.47	17	37.50	113	39	422.60	40	150.46	108	17	255.18	11	36.73
13	जांजगीर-चांपा	637	246	2046.79	174	537.50	538	273	2571.55	200	616.09	479	226	2748.30	143	526.74
14	जशपुर	262	95	762.29	43	105.36	217	88	863.83	48	155.75	204	67	631.11	48	159.52
15	कांकेर	324	137	733.87	120	206.88	366	145	1058.55	103	275.53	344	96	599.33	67	155.61
16	कावर्धा	306	157	2416.58	108	581.99	286	164	2555.13	115	492.09	244	132	3443.59	73	452.81
17	खैरगढ़-छुईखादान-गंडई	0	0	0.00	0	0.00	21	6	19.60	2	4.00	52	35	329.96	5	12.47

क्र. सं	जिले का नाम	वित्त वर्ष 2022-23					वित्त वर्ष 2023-24					वित्त वर्ष 2024-25				
		बैंक द्वारा प्राप्त आवेदन	बैंक द्वारा संस्वीकृत		संवितरित एमएम सब्सिडी		बैंक द्वारा प्राप्त आवेदन	बैंक द्वारा संस्वीकृत		संवितरित एमएम सब्सिडी		बैंक द्वारा प्राप्त आवेदन	बैंक द्वारा संस्वीकृत		संवितरित एमएम सब्सिडी	
		परियोजना की सं.	परियोजना की सं	ऋण राशि (लाख रु.)	परियोजना की सं	एमएम (लाख रु.)	परियोजना की सं.	परियोजना की सं	ऋण राशि (लाख रु.)	परियोजना की सं	एमएम (लाख रु.)	परियोजना की सं.	परियोजना की सं	ऋण राशि (लाख रु.)	परियोजना की सं	एमएम (लाख रु.)
18	कोंडागांव	274	140	718.19	104	169.47	219	88	628.62	68	133.48	221	92	652.47	83	190.52
19	कोरबा	458	121	1094.69	93	235.80	426	140	1334.46	75	214.42	312	107	1217.86	72	248.82
20	कोरिया	336	132	1206.56	74	191.15	257	94	850.70	81	235.57	210	85	913.06	50	154.43
21	**महासमुंद**	166	82	1006.97	65	324.67	190	92	1381.05	55	251.17	185	83	1633.61	48	310.56
22	मनेन्द्रगढ़-चिरीमिरी-भरतपुर	0	0	0.00	0	0.00	43	10	71.79	1	3.50	107	37	419.80	10	22.07
23	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	0	0	0.00	0	0.00	43	24	104.49	7	10.17	90	45	323.78	24	47.22
24	मुंगेली	453	156	1220.59	101	269.46	348	129	1344.00	116	347.85	247	91	1053.25	56	259.73
25	नारायणपुर	98	44	269.83	24	41.32	92	40	363.90	22	56.84	62	19	113.48	10	24.12
26	रायगढ़	458	184	2393.03	105	420.79	335	140	1460.82	90	401.26	238	103	1533.12	97	380.63
27	रायपुर	644	344	4725.43	254	1114.74	796	293	4078.56	226	1028.36	487	213	3142.67	129	633.01
28	राजनांदगांव	495	197	1486.92	140	331.39	438	202	1560.24	131	327.43	302	142	1572.72	103	311.69
29	शक्ति	0	0	0.00	0	0.00	69	17	135.50	4	12.16	145	78	758.34	25	69.53
30	सारनगढ़ बिलाइगढ़	0	0	0.00	0	0.00	41	4	50.60	0	0.00	120	45	691.14	9	34.19
31	सुकमा	41	21	76.82	14	18.48	44	9	40.60	16	18.43	38	16	90.22	3	4.72
32	सूरजपुर	282	98	950.78	52	158.32	186	61	479.84	54	166.90	167	67	737.11	39	127.17
33	सरगुजा	358	126	1294.50	64	207.24	288	116	1337.41	76	284.19	204	72	957.69	55	185.2
कुल		**9939**	**3870**	**34592.64**	**2543**	**7492.77**	**8717**	**3486**	**35465.55**	**2379**	**7625.32**	**7647**	**2974**	**36416.06**	**1853**	**6564.0**

अनुलग्नक-II

दिनांक 02.04.2026 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6278 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान छत्तीसगढ़ में पीएमईजीपी के अंतर्गत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की जिला-वार क्षेत्र-वार संख्या:

क्र. सं.	जिला	विनिर्माण			सेवाएं		
		वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
1	बालोद	32	23	21	57	70	78
2	बालोदाबाजार	31	24	26	77	61	61
3	बलरामपुर	15	7	6	28	16	15
4	बस्तर	15	12	7	72	55	61
5	बेमेतेरा	29	33	21	58	67	23
6	बीजापुर	3	3	7	12	12	14
7	बिलासपुर	59	55	38	83	122	85
8	दंतेवाड़ा	11	10	10	36	15	26
9	धमतरी	27	16	16	116	96	45
10	दुर्ग	58	30	29	90	68	56
11	गरियाबंद	33	20	12	49	34	36
12	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	5	11	2	12	29	9
13	जांजगीर-चांपा	63	63	45	111	137	98
14	जशपुर	10	14	13	33	34	35
15	कांकेर	25	13	6	95	90	61
16	कावर्धा	41	41	29	67	74	44
17	खैरगढ़-छुईखादान-गंडई	0	1	0	0	1	5
18	कोंडागांव	16	7	12	88	61	71

क्र. सं.	जिला	विनिर्माण			सेवाएं		
		वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
19	कोरबा	30	26	24	63	49	48
20	कोरिया	18	15	10	56	66	40
21	महासमुंद	38	25	20	27	30	28
22	मनेन्द्रगढ़-चिरीमिरी-भरतपुर	0	0	1	0	1	9
23	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	0	1	3	0	6	21
24	मुंगेली	25	23	18	76	93	38
25	नारायणपुर	7	3	1	17	19	9
26	रायगढ़	42	32	24	63	58	73
27	रायपुर	110	96	59	144	130	70
28	राजनांदगांव	46	29	26	94	102	77
29	शक्ति	5	1	5	0	3	20
30	सारनगढ़ बिलाइगढ़	0	0	0	0	0	9
31	सुकमा	0	2	0	9	14	3
32	सूरजपुर	16	17	8	36	37	31
33	सरगुजा	24	26	19	40	50	36
कुल		834	679	518	1709	1700	1335